प्रशासनिक आदेश सं0– 44 दिनांक– 03.05.2021

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नोटिफिकेशन सं0–163/UHC/Admin.B/2021 dated 01-05-2021 के अनुपालन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वादकारियों/अधिवक्ताओं/न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जनपद न्यायालय, बागेश्वर एवं वाह्य न्यायालय, गरूड दिनांक–03.05.2021 से 15.05.2021 तक बंद रहेंगे।

2. उक्त अवधि में न्यायालयों द्वारा केवल रिमाण्ड तथा जमानत संबंधी प्रार्थना पत्रों पर ही सुनवाई की जायेगी।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में अतिआवश्यकीय मामले जो कि 17.05.2021 से पहले सुने जाने आवश्यक हैं, उनकी सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी, किंतु इन अतिआवश्यकीय मामलों में संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त मामले अतिआवश्यकीय है तथा इसकी सुनवाई न्यायालय बंद होने के बावजूद भी दिनांक–17.05.2021 तक नहीं टाली जा सकती।

4. समस्त अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को सूचित किया जाता है कि समस्त प्रार्थना पत्र (जमानत, रिमाण्ड एव अन्य अतिआवश्यकीय प्रार्थना पत्र) बागेश्वर जजशिप की अधिकारिक बेवसाइट District Court Bageshwar पर उपलब्ध पृथकतः न्यायालयों हेतु बनायी गयी ई–मेल आईडी पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. उपरोक्त अवधि में न्यायालय बंद रहने के दौरान यदि कोई अतिआवश्यकीय मामले की सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र ई–मेल द्वारा प्रस्तुत होता है, तो उस पर मेरे द्वारा निर्णय लिया जायेगा। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त मामला न्यायालय बंद रहने के दौरान भी सुना जाना आवश्यक है, तो उक्त मामले को संबंधित न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।

6. उपरोक्त वर्णित समस्त मामले मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के नोटिफिकेशन सं0–156, दिनांक–13.04.2021 मय शुद्धि पत्र दिनांक–15.04.2021 में दिए गए निर्देशानुसार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुने जायेंगे। यदि किसी कारणवश वीडियो कॉफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उस दशा में संबंधित वादों की सुनवाई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जायेगी।

7. न्यायालयों के रीडर को आदेशित किया जाता है कि वे CIS Software में उपलब्ध Covid patch के उपयोग द्वारा दिनांक–15.05.2021 तक के नियत वादों में अग्रिम तिथि दिया जाना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित किया जावे।

(हस्ताक्षर) 3-5-2021
जिला न्यायाधीश, बागेश्वर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।
2. मुख्य न्यायिक मजि0, बागेश्वर।
3. सिविल जज (सी0डि0), बागेश्वर।
4. सिविल जज (जू0डि0), बागेश्वर।
5. सिविल जज (जू0डि0), गरूड।
6. सदर मुंसरिम।
7. बार संघ, बागेश्वर।
8. बार संघ, गरूड़।
9. नजारत/प्रतिलिपि/स्टेशनरी एवं लाईब्रेरी/लेखा/अभिलेखागार तथा प्रशासनिक अनुभाग/सर्वर रूम।

(हस्ताक्षर)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय बागेश्वर